

मलयालम फल्म उद्योग पर हेमा समति की रिपोर्ट

प्रलिम्सि के लिये:

हेमा समति की रिपोर्ट, रोज़गार, कार्यस्थल पर महलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषध और निवारण) अधिनियिम 2013, साइबर खतरे, गोपनीयता, भारतीय न्याय संहता, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम- 2012, आंतरिक शकि।यत समति (ICC)

मेन्स के लिये:

कार्यस्थल पर यौन शोषण की व्यापकता और प्रभाव तथा उनका नविारण।

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मलयालम फल्मि उद्योग पर **हेमा समिति की रिपोर्ट** ज़ारी की गई। इसमें मल<mark>यालम फल्मि</mark> उद्यो<mark>ग में म</mark>हिलाओं के साथ <u>यौन शोषण,</u> <u>लैंगिक भेदभाव</u> और <u>अमानवीय वयवहार</u> के चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं।

इसका नेतृत्व केरल उच्च न्यायालय की सेवानविृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. हेमा ने किया, जिसमें अनुभवी अभिनेत्री शारदा और सेवानविृत्त
IAS अधिकारी के. बी. वलसा कुमारी शामिल थे।

रिपोर्ट में प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- यौन शोषण: इसमें काम शुरू करने से पहले ही अवांछित शारीरिक प्रस्ताव, बलात्कार की धमकी, समझौता करने को लेकर सहमत होने वाली
 महिलाओं के लिये कोड नाम और अन्य शर्मनाक कृत्य शामिल हैं।
- कास्टिंगि काउच: रिपोर्ट से 'कास्टिंगि काउच' की सर्वव्यापकता का पता चलता है, जहाँ महिलाओं पर प्रायः**रोज़गार की संभावनाओं के लिये यौन** संबंधों के लिये मजबूर किया जाता है।
 - निर्देशक तथा निर्माता प्रायः महिला अभिनेत्रियों को समझौता करने के लिये मजबूर करते हैं और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हेंसहयोगी कलाकार' कहा जाता है।
 - ॰ दुर्व्यवहार करने वालों के साथ काम कर<mark>ने के लिये म</mark>हलिाओं को मजबूर किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें गंभीर भावनात्मक आघात सहना पड़ता है।
 - ॰ कास्टिंग काउच मनोरंजन <mark>उद्योग में नौकरी</mark> के आवेदक से <mark>रोज़गार,</mark> मुख्य रूप से **अभिनय भूमिकाओं** के बदले में यौन संबंधों की मांग की प्रथा का एक परयाय है।
- फिल्मि सेट पर सुरक्षा: फिल्म उद्योग में व्याप्त प्रायः यौन संबंधों की मांग और उत्पीड़न के डर से कई महिला फिल्म कर्मी अपने माता-पिता या करीबी रशितेदारों को सेट पर लाती हैं।
- आपराधिक प्रभाव: रिपोर्ट से पता चलता है कि मिलयालम फिल्म उदयोग आपराधिक प्रभाव से ग्रस्त है।
 - ॰ फिल्मि जगत के कई पुरुष कभी-कभी शराब या ड्रग्स के प्रभाव में महिला कलाकारों के होटलों के दरवाज़े खटखटाते हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है।
- परिणामों का भय: यद्यपि ऐसे अपराध भारतीय दंड संहति। और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषध और निवारण)
 अधिनियम, 2013 के तहत दंडनीय हैं, लेकिन फिल्म उदयोग से जुड़ी महिलाएँ औपचारिक शिकायत दर्ज कराने के परिणामों को लेकर चितित रहती हैं।
 - ॰ **यौन उत्पीड़न** से जुड़ा कलंक, विशेष रूप से सार्वजनिक हस्तियों के लिये, अक्सर अभिनेताओं को ऐसी घटनाओं की शकायत करने से रोकता है।
- साइबर धमकी: सिनेमा के क्षेत्र में ऑनलाइन उत्पीडन महिलाओं के लिये एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बन गया है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों कलाकारों को साइबर धमकी, सार्वजनिक धमकी एवं मानहानि का सामना करना पड़ रहा है।
 - ॰ सोशल मींडिया प्लेटफॉर्म अश्लील टिप्पणियों, छवियों और वीडियो के लिये माध्यम बन गए हैं, जहाँ महिला कलाकारों को धमकी भरे संदेशों के साथ विशेष रूप से निशाना बनाया जाता है।
- अपर्याप्त सुविधाएँ: महला कलाकार अक्सर शौचालय की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण सेट पर पानी पीने से परहेज करती हैं, विशेषकर बाहरी

स्थानों पर।

- मासिक धर्म के दौरान स्थिति और भी खराब हो जाती है, जब महिला कलाकारों को अपने सैनटिरी उत्पादों को बदलने या निपटाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है।
- अमानवीय कार्य परिस्थितियाँ: जूनियर कलाकारों को उचित पारिश्रिमिक नहीं मिलता। कुछ मामलों में जूनियर कलाकारों के साथ 'गुलामों से भी बदतर व्यवहार' किया जाता है, जहाँ उनसे 19 घंटे तक काम करवाया जाता है। बिचौलिय उनके भुगतान का एक बड़ा हिस्सा हड़प लेते हैं, जो समय पर नहीं दिया जाता।

फल्मि उद्योग में यौन शोषण से निपटने के लिये कानूनी ढाँचा क्या है?

- भारतीय दंड संहता, 1860 (जिसे अब भारतीय न्याय संहता के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है): धारा 354 (महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या फिर अनुचित बल-प्रयोग करता है), 354A (यौन उत्पीड़न) और 509 (महिला की शील भंग करने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य) यौन अपराधों से संबंधित हैं।
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषध और निवारण) अधिनियम, 2013: यह कानून यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान के लिये कार्यस्थलों पर आंतरिक शिकायत समितियों (ICC) की स्थापना को अनिवार्य बनाता है।
- सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियिम, 2000: आईटी अधिनियिम इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन और प्रसारण को नियंत्रित करता है, जिसमें फिल्मों में डिजिटल सामग्री शामिल हो सकती है।
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियिम, 2012 : यह अधिनियिम विशेष रूप से बच्चों को यौन शोषण और दुर्व्यवहार से बचाता है,
 जिसमें फिलिमे भी शामिल है ।
- अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधनियिम, 1956 (ITPA): इस अधनियिम का उद्देश्य वाणिज्यिक यौन शोषण के लिये तस्करी को रोकना है।

कास्टगि काउच

- "कास्टिंग काउच" शब्द मनोरंजन उद्योग में एक ऐसी प्रथा को संदर्भित करता है, जिसमें व्यक्तियों, आम तौर पर महिलाओं सेरोज़गार के अवसरों,
 विशेष रूप से अभिनय भूमिकाओं के बदले में शारीरिक समझौता करने की अपेक्षा की जाती है।
- इस अनैतिक और शोषणकारी प्रथा में निर्देशक , निर्माता या कास्टिंग एजेंट जैसे शक्तिशाली पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा महत्त्वाकांक्षी अभिनेताओं को समझौता करने वाली स्थितियों में धकेलने या दबाव डालने के लिये अपने अधिकार का दुरुपयोग किया जाता है ।
- यह शब्द फल्गि, टेलीविजन और व्यापक मनोरंजन उद्योगों में कास्टिंग प्रक्रि<mark>या में होने वाले</mark> सत्ता के दुरुपयोग और शोषण पर प्रकाश डालता है।

रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं?

- आंतरिक शिकायत समिति (ICC): इसने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषध और निवारण) अधिनियिम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की अनिवार्य स्थापना का प्रस्ताव रखा।
 - इसमें केरल फल्पि कर्मचारी संघ (FEFKA) और मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन (AMMA) के सदस्य शामिल होने चाहिये।
- स्वतंत्र न्यायाधिकरण का प्रस्ताव: कुछ सदस्यों ने सिनमा उद्योग में उत्पीडन और भेदभाव के मामलों को संभालने हेतु एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण का समरथन किया ।
 - ॰ रिपोर्ट में न्यायाधकिरण में बंद कमरे में कार्यवाही की भी <mark>वका</mark>लत की गई है ताकि पूरी गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके और मीडिया रिपोर्टों से नाम गुप्त रखे जाएँ।
- लखिति अनुबंध: सिनेमा में कार्य करने वाले सभी लोगों के हितों की रक्षा के लिये जूनियर कलाकारों के संयोजकों सहित सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये लिखिति अनुबंध पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य बनाया जाना चाहिये।
- लैंगिक जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम: यह अनिवार्य किया जाना चाहिये कि सभी कलाकार और क्रू सदस्य निर्माण कार्य शुरू करने से पहले एक मौलिक लैंगिक जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लें।
 - ॰ प्रशक्षिण सामग्री **मलयालम** और **अंग्रेज़ी** दोनों में बनाई जा सकती है तथा इसे ऑनलाइन भी उपलब्ध कराया जा सकता है।
- निर्माता की भूमिका में महिलाएँ: विषयगत रूप से और निर्माण प्रक्रिया में लैंगिक न्याय पर आधारित फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिये पर्याप्त और समय पर बजटीय सहायता उपलब्ध होनी चाहिये।
 - महिलाओं द्वारा निर्मित फिल्मों (पुरुषों के प्रतिनिधि निहीं) के लिय नाममात्र ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने और शूटिंग हेतु अनुमति को सुव्यवस्थित करने के लिये एकल खिड़की प्रणाली स्थापित की जानी चाहिये। इससे उत्पादन सरल होगा तथा और अधिक महिलाओं को फिल्म उद्योग में प्रवेश करने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न: मनोरंजन उद्योग के विशेष संदर्भ में भारत में महलाओं के यौन शोषण के मुद्दे पर चर्चा कीजिय । कार्यस्थल पर यौन शोषण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इनका निवारण कैसे किया जा सकता है?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

??????

प्रश्न.भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान संबंधित निर्तिर चुनौतियाँ क्या-क्या हैं? (2019)

प्रश्न . महिलाएँ जिन समस्याओं का सार्वजनिक और निजी दोनों स्थलों पर सामना कर रही है, क्या राष्ट्रीय महिला आयोग उनका समाधान निकालने की रणनीति बनाने में सफल रहा है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिये। (2017)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/hema-committee-report-on-malayalam-film-industry

